>

Title : Need to extend the jurisdiction of Delhi High Court to all the cities and towns of NCR.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): महोदय, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद और एनसीआर के अंतर्गत आने वाले दूसरे शहरों में अधिकांश ऐसे लोग हैं, जिन्हें किसी न किसी मामलें के सिलसिले में उच्च न्यायालय में जाना पड़ता है । जिन राज्यों में ये शहर आते हैं, उनके संबंधित उच्च न्यायालय इनसे काफी दूरी पर स्थित हैं । गाजियाबाद और नोएडा से इलाहाबाद की दूरी करीब 650 कि.मी. के आसपास है तथा गुड़गांव एवं फरीदाबाद से चंडीगढ़ की दूरी लगभग 275 कि.मी. के आसपास है । यहां के लोगों को वहां आने-जाने में जो परेशानी होती है, उसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है ।

पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारियों को भी अक्सर उच्च न्यायालय में अनेक मामलों के सिलसिलें में जाना होता है । इसमें सरकारी धन के साथ-साथ कार्यालयों की व्यवस्थाएं भी बिगड़ती हैं तथा विभागों में काफी कार्य भी लंबित हो जाते हैं । इसमें व्यय होने वाले समय का इस्तेमाल अन्य उपयोगी कार्यों में किया जा सकता है। पुलिस द्वारा अपराधियों को दूर ले जाना भी काफी जोखिम भरा होता है तथा कई बार यात्रा के दौरान कैदी भाग भी निकलते हैं । गरीब व्यक्तियों के लिए यह कठिन होता है कि वे यात्रा का व्यय वहन करें अथवा वकीलों की फीस चुकाये । ऐसे में यदि यहां के लोगों को एनसीआर में ही यह सुविधा मिल जाए तो उनकी काफी मुश्कलें दूर हो सकती हैं ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय की ज्यूरिसडिक्शन पूरे एनसीआर तक बढ़ाये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये, जिससे लोगों का समय व धन बचने के साथ- साथ उनकी आने-जाने की परेशानी और सुलभ न्याय पाने में आ रही अड़चनें भी दूर हो सकें ।